राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

11547

क्रमांक एफ19(2292) परि/लेखा/परिपत्र/आदेश पार्ट-II/2019/ दिनांक 27/6/19

कार्यालय आदेश क्रमांक ...12.../2019

प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों में पदस्थापित लेखाकर्मियों के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में कार्यालय आदेश संख्या 26/2010 दिनांक 05.10.2010, 11/2011 दिनांक 10.08.2011, 13/2013 दिनांक 16.05.2013, 18/2014 दिनांक 25.06.2014, 39/2015 दिनांक 04.12.2015, आदेश दिनांक 04.01.2017, 05/2017 दिनांक 01.02.2017 एवं 20/2017 दिनांक 31.05.2017 प्रसारित किये गये हैं। परन्तु यह ध्यान में लाया गया है कि प्रायः सभी लेखाकर्मियों द्वारा आदेशो की पूर्ण एवं समूचित अनुपालना नहीं किये जाने के कारण पी.ए.सी/सी.ए.जी/ए.जी/आन्तरिक जाँच के प्रतिवेदनों का समयबद्व एवं पूर्ण निस्तारण नहीं हो रहा है। आर.सी.आर, राजस्व प्राप्तियों, चालान, रसीद एवं कर चुकता प्रमाण पत्र आदि जारी करने के संबंध में लेखा कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण नहीं करने के कारण गबन जैसे गम्भीर प्रकरण सामने आ रहे हैं। राजस्व संग्रहण सम्बंधी पंजीकाएं व रिकॉर्ड अपूर्ण हैं तथा निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया से संधारित नहीं किये जाने के कारण राजस्व वसूली/बकाया वसूली पूर्ण नहीं होती है, परिणामस्वरूप राजकोष को निरन्तर हानि हो रही है।

महालेखाकार एवं आंतरिक अंकक्षेण दलों द्वारा उक्त तथ्य बार-बार ध्यान में लाने के उपरान्त भी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हो रहा हैं। इसके कारण प्रतिवर्ष राजस्व हानि एवं वसूली के प्रकरण बढ़ते जा रहे हैं। राजस्व की पूर्ण वसूली नहीं करने एवं बकाया वसूली के प्रकरणों व राशि में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः इस संबंध में पूर्व मे जारी उक्त कार्यालय आदेशों की प्रति संलग्न कर इनकी निरन्तरता में पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय में पदस्थापित समस्त लेखाकर्मी विभाग से सम्बन्धित अधिनियम, नियम एवं आदेशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करें अन्यथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करने तथा राज्यादेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम 4(V) के अनुक्रम में उत्तरदायित्व निर्धारित कर

राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। यदि लेखाकर्मियों के द्वारा उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण गबन, आपराधिक न्यासभंग एवं कूटरचित दस्तावेजों के उपयोग से राजकोष को हानि आदि कारित होती है तो सम्बंधित लेखाकर्मी के विरूद्ध भी आपराधिक कृत्यों के लिए विधिक/दाण्डिक कार्यवाही की जाएगी।

26/06

(राजेश यादव)
शासन सचिव एवं
परिवहन आयुक्त

11548-53

क्रमांक एफ19(2292) परि/लेखा/परिपत्र/आदेश पार्ट-।।/2019/ दिनांक 27/6

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग।
2. निजी सहायक, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. समस्त अतिरिक्त परिवहन आयुक्त।
4. वित्तीय सलाहकार, उप वित्तीय सलाहकार, वरिष्ठ लेखाधिकारी।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उनके कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों से उनके लिए नियमों/आदेशो में निर्धारित उत्तरदायित्वों/कार्यों से अन्यथा कार्य करवाया जाता है तो उनके विरूद्ध भी नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. समस्त लेखाकर्मी, परिवहन विभाग।

26/06/2019

वित्तीय सलाहकार